न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 592 / 2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार,पचपदरा		1. बुधा पुत्र पूनमा, पेमाराम पुत्र भगवानाराम, मोटाराम पहलादराम, भोमाराम, चुनीलाल पुत्र कुम्बाराम, सिणगारी बेवा कुम्बाराम, बस्तीराम, खीमाराम, मादाराम, रणछोडराम पि0 तिलोकाराम कसुम्बी बेवा तिलोकाराम वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांकः– 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम **बामसीण** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते / सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग / उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज / तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **आसोतरा** के ख0न0 कमशः 1519, 1522, 1533, 1536 कुल रकबा 1 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते / सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार / खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश किया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

र्थीगणों द्वारा प्रस्तुत जबाब में बताया गया कि उक्त स्थान पर कोई बारहमासी रास्ता ता है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र को बारहमासी रास्ता नहीं होने के आधार पर खारिज करने दन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जबाब चाहे जाने पर हल्का द्वारा प्रस्तुत जबाब में जिसमें मौके पर फसले खडी होना एवं प्रस्तावित स्थान रास्ता होना बताया गया है। जो की विप्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत जबाब की पुष्टि करता है। अतः इस स्तावित भूमि पर रास्ता घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू–अभिलेख अधिकारी,
बालोतरा